


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों में निम्नानुसार कॉलम संख्या 05 के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमाता)	विषय	आदेश दिनांक एवं आदेश में क्र.सं.	वांछित संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4	5
1	श्रीमती अल्का कुमारी, गोविन्दगढ़ (जयपुर)	गणित	13.02.2019 (क्र.सं. 17)	कार्मिक के परिविक्षाकाल में 37 दिवस के अवैतनिक अवकाश का उपभोग करने के कारण स्थाईकरण आदेश में इनकी कॉलम संख्या 09 में अंकित स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि 20.10.2018 के स्थान पर 27.10.2018 संशोधित पढ़ी जावे।

शेष नियम व शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 21/05/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगक/संशोधन/2019-20/260

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संभाग मुख्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा आधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज अवश्य करें।
5. संबंधित कार्मिक।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर